## नगर पंचायत रिवालसर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

### अवधि 4/11 से 3/13

1 **प्रारम्भिकः–**

**(क)** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन(एल0ए0) –खण्ड–IV दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत रिवालसर, जिला मण्डी के अवधि 4/11 से 3/13 के लेखाओं का अंकेक्षण किया गया। अंकेक्षण अवधि 4/2011 से 3/2013 के दौरान नगर पंचायत रिवालसर के अध्यक्ष तथा सचिव निम्नानुसार थेः–

**अध्यक्षः–**

| क्र0सं0 | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री बंसी लाल ठाकुर | 01.04.2011 से 31.03.2013 |

**सचिवः–**

| क्र0सं0 | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री शिव सिंह सेन | 01.04.2011 से 20.07.12 |
| 2 | श्री अशोक शर्मा | 21.07.12 से 31.03.13 |

**(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–**

नगर पंचायत रिवालसर के लेखाओं अवधि 4/11 से 3/13 के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

| क्र0सं0 | गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त सार | पैरा सं0 | राशि लाखों में |
|---|---|---|---|
| 1 | दिनांक 31.3.11 को अनुदान की अनुपयुक्त राशि | 5 (क) | 53.15 |
| 2 | गृहकर की वसूली योग्य राशि शेष | 6 (ख) | 37.23 |
| 3 | गृहकर नियमानुसार अधिरोपित न करने के कारण नगर पंचायत को लाखों की वित्तीय हानि | 6 (ग) | |
| 4 | दुकानों के किराये की वसूली शेष। | 6 (घ) | 2.48 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | गलत गणना के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान | 8 (ख) व (ग) | 0.32 |
| 6 | स्टॉक में गलत शेष दर्शाकर 60 बैग सीमेन्ट का दुरूपयोग | 8 (ण) | 0.20 |

### (ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण के परिशिष्ट **"अ"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः पंचायत इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई सुनिश्चित करें व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

### 2 वर्तमान अंकेक्षणः–

नगर पंचायत रिवालसर के अवधि 4/11 से 3/2013 के लेखाओं का अंकेक्षण श्री चन्द्रेश हाण्डा, सहायक नियन्त्रक द्वारा दिनांक 28.12.2013 से 03.02.2014 के दौरान रिवालसर में किया गया। विस्तृत जॉच हेतु आय के माह 4/11 व 4/12 तथा व्यय के 12/11 व 7/12 के लेखाओं का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैरा ग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर पंचायत द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं व अंकेक्षण मे प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर किया गया है। नगर पंचायत द्वारा प्रदान की गई किसी गलत सूचना एवं सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उतरदायित्व नहीं होगा क्योंकि संस्था का अंकेक्षण कार्य चयनित मासों तक ही सीमित है।

### 3 लेखा परीक्षा शुल्कः–

नगर पंचायत के लेखाओं अवधि 4/11 से 3/13 का अंकेक्षण शुल्क ₹13200/–आंका गया। सचिव नगर पंचायत रिवालसर को सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) की अधियाचना संख्या फिन (एल0ए0)एस0एम0/497 दिनांक 24.01.2014 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेजने का अनुरोध किया गया है। नगर पंचायत द्वारा यह राशि ड्राफ्ट संख्या 320513 दिनाँक 29.01.2014 द्वारा भेज दी गई।

**4 वित्तीय स्थितिः–**

**(क)** सचिव नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार नगर पंचायत रिवालसर की अवधि 4/11 से 3/2013 की अपने स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

| | **2011–12 (₹)** | **2012–13 (₹)** |
|---|---|---|
| प्रारम्भिक शेष | 7077111 | 7215490 |
| सावधिक जमा (–) | 2950000 | 2950000 |
| प्रारम्भिक शेष (रोकड वही) | 4127111 | 4265490 |
| प्राप्ति | 4992327 | 5949656 |
| सावधिक जमा (परिपक्वता) | – | 3185702 |
| योग | 9119438 | 13400848 |
| भुगतान | 4853948 | 7069005 |
| अन्तिम शेष (रोकड़ वही) | 4265490 | 6331843 |
| सावधिक जमा | 2950000 | 50000 |
| कुल अन्तशेष | 7215490 | 6381843 |

वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "क" (i) व (ii) पर दिया गया है तथा रोकड़ वही के अन्तशेष व बैंक शेषों का विवरण व मिलान परिशिष्ट "क" (iii) पर दिया गया हैं।

**(ख) सावधि जमा योजनाः–**

नगर पंचायत द्वारा दिनांक 31.3.10 को मात्र ₹50000/–सावधि जमा योजना में निवेशित थी जिसका विवरण परिशिष्ट "क(iv)" में दिया गया है।

**(ग) रोकड़ वही का अनुरक्षण नियमानुसार न करनाः–**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ वही मे प्रत्येक कार्य दिवस के अन्त में शेष की गणना करने की अपेक्षा शेष की गणना मास के अन्त में की गई है जबकि नियमानुसार प्रत्येक दिन के लेन देन के बाद रोकड़ वही शेष की गणना की जानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मास के अन्त में बैंक से समाधान/मिलान भी नहीं दर्शाया गया था जो कि प्रत्येक मास के अन्त में दर्शाया जाना अपेक्षित है। मास के अन्त में केवल बैंक शेषों के आधार पर प्राप्ति व व्यय जमा व घटा कर अन्तिम शेषों का मिलान किया जाता है जबकि

यह शेष रोकड़ वही को आधार मानकर बैंकों के साथ मिलान कर समाधान अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत द्वारा सामान्य रोकड़ वही से सम्बन्धित बैंक खातों के अतिरिक्त निम्न विवरणानुसार भी बैंक खाते खोले गये है तथा इनमें प्रत्येक के आगे दर्शाई गई राशियां 31.3.2013 को शेष थी लेकिन इन खातों में किये गये लेन देन का रख रखाव बैंक पास बुक के आधार पर किया गया है। इनके लिए कोई रोकड़ वही का अनुरक्षण नहीं किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा जिस अवधि से ये खाते खोले गये है उसी अवधि की रोकड़ वहियां तैयार करके अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाए। इसके अतिरिक्त इन्हें सामान्य रोकड़ वही में न दर्शाने का औचित्य भी स्पष्ट किया जाए।

| | **रिवालसर स्थित बैंक** | **खाता संख्या** | **31.3.2013 को शेष (₹)** | **प्राप्ति स्त्रोत** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक | 3193 | 207990 | ग्रैच्यूटि |
| 2 | हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक | 2175 | 687973 | पैन्शन |
| 3 | हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक | 2178 | 662771 | प्रतिभूति |
| 4 | हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक | 8322 | 231031 | सी0पी0एफ0 |

इसके अतिरिक्त खाता संख्या 4238 में भी माह 3/13 तक ₹50442/– की राशि शेष थी। इस खाते का संचालन भी सामान्य रोकड़ वही के माध्यम से नहीं किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए राशि को सामान्य रोकड़ वही में सम्मिलित किया जाए।

**(घ) अन्तरः–**

गत अंकेक्षण में नगर पंचायत द्वारा आय व व्यय के आंकड़े गलत तैयार किये गये थे जैसा कि गत प्रतिवेदन के पैरा 5 (ग) (i), (ii) व (iii) में वर्णित है। वास्तवित में own sources व अनुदानों का 31.03.11 को अतः शेष निम्न प्रकार से था।

| | ₹ |
|---|---|
| 31.03.11 का अनुदानों का अन्तशेष | 5695880 |
| 31.03.11 को own sources का अन्तशेष | 1381231 |
| 31.3.11 को कुल अंत शेष | 7077111 |

अतः वर्तमान अंकेक्षण में नगर पंचायत द्वारा उपरोक्त अन्तशेषों के आधार पर लेखे तैयार किये गये है।

5 **अनुदानः–**

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार अंकेक्षण अवधि में प्राप्ति व व्यय की गई अनुदानों की विवरणी परिशिष्ट "ख" पर दर्शाई गई है जिनमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई।

**(क) अनुदान राशि ₹53.15 लाख का उपयोग न करनाः–**

अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि वर्ष 3/11 तक प्राप्त अनुदानों से 31.03.2013 तक ₹2288375/– वर्ष 2011–12 में प्राप्त अनुदानों से 31.03.13 तक ₹1505900 व वर्ष 2012–13 में प्राप्त अनुदानों से 31.03.2013 तक ₹1521263/– कुल ₹5315538/– का उपयोग नहीं किया गया। इन राशियों का उपयोग विकास कार्यो हेतु किया जाना अपेक्षित था। अतः इन अनुदानों का नियमानुसार उसी उद्देश्य हेतु शीध्र उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए जिस हेतु इन्हें स्वीकृत किया गया है तथा इनके उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग को प्रेषित किए जाएं अन्यथा अनुपयुक्त राशियों को सम्बन्धित विभाग को प्रत्यार्पण किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत किया जाए।

6 **आयः–**

**(क) जी–8 रसीदों का अनुरक्षण नियमानुसार न करनाः–**

अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि जी–8 रसीद बुकों का अनुरक्षण उचित ढ़ंग से नहीं किया गया। इनका उपयोग करने के बाद रसीद बुक पर यह प्रमाण पत्र दर्ज नहीं किया गया कि इसके द्वारा वसूल की गई राशि का लेखांकन करके नगर पंचायत निधि मे जमा करवा दिया गया है जबकि निदेशक शहरी विकास पत्रांक 12812–12861 दिनांक 15.11.2006 द्वारा उपरोक्त कार्रवाई करने हेतु स्पष्ट निर्देश दिए गये है। इसके अतिरिक्त रसीद बुको के अवलोकन पर प्रायः यह पाया गया कि इनमें वसूली की तिथि अंकित नहीं की गईं, जिसके अभाव में यह पुष्टि नहीं हो सकी कि प्राप्त राशियों को समय पर जमा करवा दिया गया है। अतः उपरोक्त अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में जी–8 रसीदों का अनुरक्षण नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**(ख) ₹37.23 लाख गृहकर के रूप में वसूली योग्य राशि शेषः–**

अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31.3.2013 को ₹3723154/– गृहकर के रूप में वसूली योग्य शेष थी जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट

"घ" में दिया गया है। इस राशि की वसूली हेतु नियमानुसार ठोस कदम उठाए जाये ताकि पंचायत के विकास कार्य की और गति दी जा सके।

### (ग) सरकार द्वारा घोषित दरो ंपर गृहकर को अधिरोपित न करने के कारण नगर पंचायत को लाखों की वित्तीय हानिः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि गृह कर का निर्धारण रैंटल वैल्यू पर 8**%** की दर से किया गया जबकि निदेशक शहरी विकास के पत्र संख्या यू0डी0–एच(सी) (10)–7/98–II दिनांक 17.11.2003 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार वर्ष 2006–07 के अन्त तक इसे 12½**%** की दर से निर्धारित किया जाना अपेक्षित था। इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा–6 (ख) में भी आपत्ति उठाई गई थी लेकिन नगर पंचायत द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई। अतः सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का पालन न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए सरकार द्वारा घोषित दरो ंपर गृहकर अधिरोपित न करने के कारण नगर पंचायत को लाखों रूपयों की वित्तीय हानि हो रही है। इस सन्दर्भ में आवश्यक कार्रवाई नियमानुसार अब की जाए। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा गत कई वर्षों से एक समान गृहकर ₹4.58 लाख की मांग वार्षिक आधार पर दर्शाई जा रही है ऐसा प्रतीत होता है कि गत इन कई वर्षों में नवनिर्मित बने भवनों पर गृहकर का निर्धारण नहीं किया जा रहा है इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

### (घ) ₹247680/– दुकानों के किराए के रूप में वसूली योग्य राशि शेषः–

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2013 को ₹247680/– दुकानों के किराये के रूप में वसूली योग्य राशि शेष थी जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ङ" में दिया गया है। हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1994 की धारा 258 (i) (बी) 2 के अनुसार यदि प्राप्ति योग्य राशि 15 दिन तक प्राप्त नहीं होती तो देय कर्ता को मांग पत्र दिया जाना अपेक्षित है व उसके बाद भी यदि राशि प्राप्त नहीं होती तो उसे कानूनी तौर पर वसूली " as land revenue" की जा सकती है। इस सन्दर्भ में नियमानुसार कार्रवाई न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस राशि की वसूली हेतु ठोस कदम उठाये जाऐं।

**(ङ) भारत संचार निगम से मोबाईल टावर की वार्षिक रिन्यूयल फीस की मांग न करनाः—**

नगर पंचायत क्षेत्र में भारत संचार निगम द्वारा एक मात्र मोबाईल टावर स्थापित किया गया है लेकिन गत कई वर्षों से वार्षिक रिन्यूअल फीस ₹5000/— प्रतिवर्ष की दर से नियमानुसार वसूल नहीं की गई। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित राशि नियमानुसार सम्बन्धित विभाग से वसूली करके पंचायत खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

**7 स्थापनाः—**

**श्री दत्त राम बेलदार को 22 मास विलम्ब से सेवानिवृत करने के फलस्वरूप वेतन का अनियमित भुगतानः—**

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 7 में वर्णित श्री दत्त राम बेलदार की नियुक्ति दिनांक 10.11.2008 को की गई थी नियुक्ति के समय प्रस्तुत जन्म तिथि अभिलेख में कांट छांट कर जन्म तिथि 22.7.1958 दर्शाई गई है लेकिन गत प्रतिवेदन में जन्म तिथि में कांट छांट की आंशका से निदेशक, शहरी विकास के ध्यानार्थ इस प्रकरण की जाँच पाठशाला व ग्राम पंचायत के वास्तविक अभिलेख तथा अन्य सम्बन्धित अभिलेख से संस्था स्तर पर अनुरोध किया गया था। नगर पंचायत द्वारा जाँच की गई व प्रधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रिवालसर द्वारा पाठशाला अभिलेख अनुसार श्री दत्त राम की जन्म तिथि 22.7.1953 प्रमाणिक की। अतः वास्तविक जन्म तिथि अनुसार श्री दत्त राम दिनांक 31.7.2011 को सेवानिवृत होंने थे लेकिन जाँच में पाठशाला द्वारा वास्तविक जन्म तिथि प्रमाण पत्र 28.5.2013 को जारी करने के बाद सम्बन्धित कर्मचारी के लिखित अनुरोध के बाद इन्हें 31.05.2013 को सेवानिवृत किया गया। परिणामस्वरूप 22 माह विलम्ब से सेवानिवृत किया गया। अतः उक्त अवधि का इन्हें वेतन के रूप में अनियमित भुगतान किया गया इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। यह प्रकरण निदेशक शहरी विकास विभाग के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

**8 निर्माण कार्यः—**

**(क)** कार्य का नामः— C/O Rain shelter around the lake.

| | |
|---|---|
| भुगतान | वाउचर 18 दिनांक 21.12.11 ₹380000/— |
| बिल | प्रथम चलत बिल |
| माप पुस्तिका | 17 पृष्ठ 85 |
| ठेकेदार का नामः— | श्री संदीप कुमार |

उपरोक्त निर्माण कार्य के अभिलेख के अवलोकन पर निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गईः–

**(i) Steel Truss में गलत फैक्टर लगाने के फलस्वरूप संविदाकार को ₹3421/– का अधिक भुगतानः–**

उपरोक्त बिल में माप पुस्तिका पृष्ठ 78 में 95.04 RMT 40x40x5 एंगल टी का फैक्टर 3.50 Kg प्रति RMT लगाकर भुगतान किया गया जबकि नियमानुसार 40x40x5 एंगल का फैटकर 3.00 Kg प्रति RMT है। इस प्रकार गलत फैक्टर लगाने के कारण 47.52 KG स्टील (95.04x0.50 Kg RMT) ₹72 प्रति किलो की दर से कुल ₹3421/– का संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से वसूल करके नगर पंचायत खाते में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

**(ii) सीमेन्ट उपयोग विवरणियाँ नियमानुसार तैयार न करने के कारण सीमेन्ट का दुरूपयोगः–**

उपरोक्त निर्माण कार्य में निम्नलिखित सीमेन्ट से सम्बन्धित मदों का निष्पादन किया गया लेकिन बिल के साथ सीमेन्ट उपयोग विवरणी इत्यादि संलग्न नहीं पाई गई। अंकेक्षण द्वारा गणना करने पर पाया गया कि इन मदों पर निम्नविवरणानुसार 70 सीमेन्ट बैग का उपयोग किया जाना अपेक्षित था।

| क्र0सं0 | मद का संक्षिप्त विवरण | निष्पादित मात्रा | सीमेन्ट फैक्टर (बैग) | कुल सीमेन्ट (बैग) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:5:10 P.L.C.C | 1.80 Cum | 2.60 | 4.68 |
| 2 | 1:2:4 P.L.C.C | 5.12 Cum | 6.40 | 32.77 |
| 3 | 1:1½:3 P.L.C.C | 0.81 Cum | 8.00 | 6.48 |
| 4 | 1:1½:3 P.L.C.C | 0.876 Cum | 8.00 | 7.00 |
| 5 | 1:1½:3 P.L.C.C | 1.925 Cum | 8.00 | 15.40 |
| 6 | 1:6 R.R.M | 1.92 Cum | 1.65 | 3.17 |
| | | | | **69.50** |
| | | | **say** | **70 बैग** |

लेकिन उपरोक्त कार्य हेतु संविदाकार को कुल 35 बैग दिनांक 13.10.11 व 15.10.11 को (क्रमशः 20 व 15) सीमेन्ट जारी किये गये थे व उपरोक्त चलत बिल में भी संविदाकार से 35 बैग सीमेन्ट की ₹200/– प्रति बैग की दर से कुल ₹7000/– की वसूली की गई। अतः संविदाकार को 35 बैग सीमेन्ट जारी किये गये थे लेकिन सीमेन्ट मदों पर संविदाकार को 70 बैग सीमेन्ट का भुगतान किया गया जिससे स्पष्ट है कि निमार्ण कार्य below specification किया गया व सहायक अभियन्ता द्वारा कहीं भी सीमेन्ट/माप test check नहीं किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व विभागीय जांच करने के पश्चात वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त उपरोक्त निर्माण कार्य के दूसरे व अन्तिम बिल द्वारा संविदाकार को वाउचर संख्या 12 माह 7/12 शेष निष्पादित कार्य ₹48672/– (माप पुस्तिका 19 पृष्ठ 15 से 20) का भुगतान किया गया जिसमें सीमेन्ट उपयोग विवरणी बिल के साथ संलग्न नहीं थी व अंकेक्षण द्वारा गणना करने पर पाया गया कि इन मदों पर निम्नविवरणानुसार 90 बैग सीमेन्ट उपयोग किया जाना अपेक्षित था।

| **क्र0सं0** | **मद का संक्षिप्त विवरण** | **निष्पादित मात्रा** | **सीमेन्ट फैक्टर (बैग)** | **कुल सीमेन्ट (बैग)** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:5:10 P.L.C.C | 1.80 Cum | 2.60 | 4.68 |
| 2 | 1:2:4 P.L.C.C | 5.12 Cum | 6.40 | 32.77 |
| 3 | 1:1½:3 P.L.C.C | 0.81 Cum | 8.00 | 6.48 |
| 4 | 1:1½:3 P.L.C.C | 0.876 Cum | 8.00 | 7.00 |
| 5 | 1:1½:3 P.L.C.C | 1.925 Cum | 8.00 | 15.40 |
| 6 | 1:6 R.R.M | 1.92 Cum | 1.65 | 3.17 |
| 7 | 1:5:10 | 3.45 Cum | 2.60 | 8.97 |
| 8 | Kota 1:4 | 30.49 Cum | 0.30 | 9.15 |
| 9 | Plaster 1:4 (6 MM) | 17.46 Cum | 0.055 | 0.96 |
| | | | | **88.56** |
| | | | **say** | **90 बैग** |

दूसरे व अन्तिम बिल तक 80 बैग सीमेन्ट और जारी कर प्रथम व दूसरे बिल में कुल 115 बैग सीमेन्ट (35 व 80 बैग) जारी किये गये शेष 80 बैगो की वसूली संविदाकार के चलत बिल में की गई। जबकि निर्माण कार्य पर केवल 90 सीमेन्ट बैग का उपयोग किया गया परिणामस्वरूप 25 बैग सीमेन्ट का दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है। इस बारे

स्थिति स्पष्ट की जाए इसके अतिरिक्त प्रथम चलत बिल में कार्य below specification किया गया था वह दूसरे व अन्तिम बिल में सीमेन्ट का अधिक उपयोग दर्शाया गया यह अनियमित है इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। सहायक अभियन्ता द्वारा नियमानुसार माप पुस्तिका में कहीं भी test check नहीं किया गया। अतः इस बारे विभागीय जांच कर वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत कराया जाए व 25 बैग सीमेन्ट की वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

| | |
|---|---|
| **(ख)** कार्य का नाम | C/O one No. rain shelter job No. I |
| भुगतान | वाउचर संख्या 10 माह 7/12 ₹420009/– |
| बिल | प्रथम व अन्तिम बिल |
| माप पुस्तिका | 19 पृष्ठ 38 |
| ठेकेदार का नाम | श्री नरेन्द्र पाल |

उपरोक्त कार्य के अभिलेख के अवलोकन पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

**(i) संविदाकार को ₹16020/– का अधिक भुगतानः–**

उपरोक्त बिल में Truss/स्टील कार्य Through rate पर संविदाकार को आंबटित था व एंगल स्टील इत्यादि विभागीय स्टोर से जारी नहीं था। माप पुस्तिका पृष्ठ 33 में एंगल व टी इत्यादि Truss हेतु स्टील की कुल गणना 5167.88 कि0ग्रा0 हुई व इस मात्रा में 5% wastage 258.39 कि0ग्रा0 दर्शाकर ₹62/– प्रतिकिलों की दर से कुल ₹16020/– का संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है नियमानुसार की गणना Labour rate पद विभागीय तौर पर जारी स्टील के उपर की जाती है न कि through rate पर इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अधिक किये गये भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत खाते में जमा करवाया जाए।

**(ग) उपरोक्त (ख) में दर्शित एक समान अन्य कार्य में through rate मद Truss कार्य में westeage दिखा कर संविदाकार को ₹16020/– का अधिक भुगतानः–**

उपरोक्त ख में वर्णित एक समान अन्य कार्य "C/O 1 no. rain shelter job No. 3" माप पुस्तिका 19 पृष्ठ 52 (प्रथम व अन्तिम बिल) में संविदाकार श्री नरेन्द्र पाल को वाउचर संख्या 11 माह 7/12 द्वारा ₹427274/– का भुगतान किया गया। इस कार्य में भी माप पुस्तिका पृष्ठ 46 में एंगल व टी इत्यादि Truss हेतु स्टील की गणना 5167.88 कि0ग्रा0 हुई व 5% wastage 258.39 कि0ग्रा0 दर्शा कर संविदाकार को ₹62 प्रति बिलों की दर से कुल

₹16020/– का अधिक भुगतान किया गया। नियमानुसार through rate पर wastage की गणना, ठेकेदार द्वारा स्टील विभागीय तौर पर जारी न किया हो तो नहीं की जाती इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अधिक किये गये भुगतान की वसूली की जाए।

| | |
|---|---|
| **(घ)** कार्य का नाम | C/O repair of path in ward No. 5 |
| भुगतान | वाउचर संख्या 18 दिनांक 25.7.12 ₹14077/– |
| बिल | प्रथम चलत बिल |
| माप पुस्तिका | 20 पृष्ठ 11 व 12 |
| संविदाकार का नाम | श्री सुन्दर सिंह |

उपरोक्त कार्य के अभिलेख के अवलोकन पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

**(i) सीमेन्ट उपयोग विवरणी तैयार न कर 68 बैग सीमेन्ट का दुरूपयोगः–**

उपरोक्त बिल में केवल एक मद P.L.C.C. 1:4:8 कुल 82.88 cum कार्य निष्पादित कि व इस मद पर कुल 350 बैग सीमेन्ट जारी कर व उपयोग दर्शाकर ठेकेदार से ₹200 प्रति बैग कुल ₹70000/– की वसूली की गई लेकिन इस सन्दर्भ में सीमेन्ट उपयोग विवरणी बिल में साथ संलग्न नहीं थी जिसके अभाव में सीमेन्ट खपत की जाँच नहीं की जा सकी अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार 282 सीमेन्ट बैग उपयोग किये जाने अपेक्षित थे।

| विवरण | मात्रा (cum) | फैक्टर प्रति cum | सीमेन्ट उपयोग |
|---|---|---|---|
| P.L.C.C. 1:4:8 | 82.88 | 3.40 बैग | 282 बैग |

अतः उपरोक्त कार्य में 282 बैग सीमेन्ट उपयोग के स्थान पर 350 बैग सीमेन्ट उपयोग दर्शाकर 68 बैग सीमेन्ट का दुरूपयोग किया गया प्रतीत होता है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अतः 68 बैग सीमेन्ट के मूल्य की वसूली वर्तमान बाजार दर से उचित स्त्रोत से की जाए।

**(ii)** नगर परिषद/पंचायतों में सीमेन्ट की खरीद हिमाचल प्रदेश सीविल सप्लाई कारर्पोरेशन के माध्यम से की जानी अपेक्षित थी लेकिन सीमेन्ट रजिस्टर की पड़ताल में निम्नलिखित 160 सीमेन्ट बैग की खरीद खुले बाजार से की गई।

| दिनांक | क्रय सीमेन्ट | जहां से खरीद की |
|---|---|---|
| 11.8.12 | 40 बैग | मै0 पवन गुप्ता एण्ड सन्ज |
| 13.8.12 | 18 बैग | मै0 पवन गुप्ता एण्ड सन्ज |
| 14.8.12 | 110 बैग | मै0 पवन गुप्ता एण्ड सन्ज |

खुले बाजार से उक्त सीमेन्ट के खरीद बारे औचित्य स्पष्ट नहीं किया जा सका। इस बारे पूर्ण स्थिति स्पष्ट की जाए। अंकेक्षण में सहायक अभियन्ता द्वारा निष्पादित मात्राओं का माप पुस्तिका में कहीं भी टैस्ट चैक नहीं किया जा रहा है। केवल बिल हस्ताक्षर किये जाते है और न ही सीमेन्ट उपयोग विवरणियाँ तैयार की जाती है यह अनियमित है। अपेक्षित कार्रवाई अब सुनिश्चित की जाए व अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा में दर्शाई जाए।

**(ण) स्टॉक के गलत शेष दर्शाकर 60 बैग सीमेन्ट का दुरूपयोगः–**

सीमेन्ट रजिस्टर की जाँच पर अंकेक्षण में पाया गया कि पृष्ठ 7 पर 110 बैग सीमेन्ट प्रारम्भिक शेष था व दिनांक 15.11.2011 को "C/O repair of foot path at ward No.7 " कार्य हेतु 40 बैग सीमेन्ट जारी कर शेष 30 बैग दर्शाया गया जबकि शेष 70 बैग सीमेन्ट होना चाहिए था। परिणामस्वरूप 40 बैग सीमेन्ट स्टॉक में कम दर्शाए गए। इसी प्रकार 17. 12.11 को 160 बैग सीमेन्ट प्रारम्भिक शेष था व इसी उपरोक्त कार्य को 20 बैग सीमेन्ट जारी कर शेष 120 बैग दर्शाया गया जबकि यह शेष 140 बैग होना चाहिए था। परिणामस्वरूप स्टॉक में 20 बैग कम दर्शाए गए है। अतः 60 बैग सीमेन्ट (40+20) का दुरूपयोग किया गया प्रतीत होता है। अतः जिम्मेवारी निर्धारित कर 60 बैग सीमेन्ट की ₹335/– प्रति बैग (बाजार भाव) कुल ₹20100/– की वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत खाते में जमा करवाया जाए व समस्त अभिलेख सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा में दर्शाई जाए।

**9 विविधः–**

नगर पंचायत में विभिन्न स्टॉक/अभिलेख का कभी वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया। स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन नियमानुसार प्रतिवर्ष करना सुनिश्चित किया जाए।

10 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

11 **निष्कर्षः—** लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता हैं। निर्माण सम्बन्धित कार्यों के अभिलेख के रख—रखाव में विशेष पर्यवेक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता / —

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009

पृष्ठांकन संख्याः वित्त (ले0प0)मु0(2)सी(15)(5)98 / 92 खण्ड—2—2207—08 दिनांक, 11.04.2014 शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1 निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला—171002

**पंजीकृत** 2 सचिव, नगर पंचायत रिवालसर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर प्रेषित करें।

हस्ता /
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

## परिशिष्ट "अ" (पैरा संख्या 1 (ग) में सन्दर्भित)

**गत अंकेक्षणः—**

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से थीः—

**(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2/89 से 3/93**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा—6 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा—7 (क) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा—7 (ख) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा—8 (1) | अंशतः निर्णीत |
| 5 | पैरा—8 (2) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा—8 (3) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा—8 (5) (1, 2) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा—8 (6) (क) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा—8 (6) (ख) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा—8 (7) | अनिर्णीत |

**(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/93 से 3/95**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा—4 (5) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा—4 (6) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा—4 (7) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा—8 (8) (1, 2) | अंशतः निर्णीत |
| 5 | पैरा—8 (3) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा—9 | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा—10 | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा—11 (1) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा—11 (2) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा—11 (3) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा—11 (4) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा—11 (5) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा—11 (6) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 14 | पैरा–11 (7) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा–11 (8) | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा–11 (10) | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा–11 (12) | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा–12 (1) | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा–13 (1) | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा–13 (2) | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा–13 (3) | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा–13 (4) | अनिर्णीत |

**(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/2001**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा–4 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा–6 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा–7 | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा–8 (क) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा–8 (ख) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा–8 (ग) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा–8 (घ) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा–8 (ङ) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा–8 (च) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा–9 (क) (i) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा–9 (क) (ii) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा–9 (क) (iii) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा–9 (ख) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा–10 (क) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा–10 (ख) | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा–11 | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा–12 | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा–13 | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा–14 | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा–15 | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा–16 (क) | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा–16 (ख) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 23 | पैरा–16 (ग) | अनिर्णीत |
| 24 | पैरा–16 (घ) व (ङ) | अनिर्णीत |
| 25 | पैरा–16 (च) से (झ) | अनिर्णीत |
| 26 | पैरा–17 (क) (1 से 6) | अनिर्णीत |
| 27 | पैरा–17 (ख) (1 से 6) | अनिर्णीत |
| 28 | पैरा–17 (ग से ङ) | अनिर्णीत |
| 29 | पैरा–17 (च) (1 , 2) | अनिर्णीत |
| 30 | पैरा–17 (छ) (क से ग) | अनिर्णीत |
| 31 | पैरा–17 (ज) (1 से 3) | अनिर्णीत |
| 32 | पैरा–18 | अनिर्णीत |
| 33 | पैरा–19 (क) से (ग) | अनिर्णीत |
| 34 | पैरा–20 (i, ii) | अनिर्णीत |
| 35 | पैरा–20 (iii) (क से ग) | अनिर्णीत |
| 36 | पैरा–20 (iv) | अनिर्णीत |
| 37 | पैरा–20 (v) | अनिर्णीत |
| 38 | पैरा–20 (vi) | अनिर्णीत |
| 39 | पैरा–21 | अनिर्णीत |
| 40 | पैरा–22 | अनिर्णीत |
| 41 | पैरा–23 | अनिर्णीत |
| 42 | पैरा–24 | अनिर्णीत |
| 43 | पैरा–25 | अनिर्णीत |

अवधि 4/95 से 3/2001 की अवधि की पैरा संख्या 25 मे दर्शाई लघु आपत्ति विवरणी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई तथा उपरोक्त प्रतिवेदनों कें पैरों को निरस्त करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

**(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2009**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा–2 (क ख) (1, 2) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा–4 (ख) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा–4 (घ) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा–4 (ङ) (1 से 3) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा–4 (च) (1 व 2) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा–4 (छ) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा–4 (ज) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा–4 (झ) | अनिर्णीत |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | पैरा–4 (ञ) | अनिर्णीत | |
| 10 | पैरा–4 (ट से ढ) | अनिर्णीत | |
| 11 | पैरा–5 (क से ग) | अनिर्णीत | |
| 12 | पैरा–6 (क से ग) | अनिर्णीत | |
| 13 | पैरा–6 (ङ से थ) | अनिर्णीत | |
| 14 | पैरा–7 (क से थ) | अनिर्णीत | |
| 15 | पैरा–8 | अनिर्णीत | |
| 16 | पैरा–9 | अनिर्णीत | |

**(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2011**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–3 | निर्णीत | |
| 2 | पैरा–4 (ख व ग) | निर्णीत | (नवीनतम स्थिति वर्तमान में दर्शाई गई है) |
| 3 | पैरा–5 (क) | निर्णीत | (नवीनतम स्थिति वर्तमान में दर्शाई गई है) |
| 4 | पैरा–5 (ख) | निर्णीत | (नवीनतम स्थिति वर्तमान में दर्शाई गई है) |
| 5 | पैरा–5 (ग) | निर्णीत | (नवीनतम स्थिति वर्तमान में दर्शाई गई है) |
| 6 | पैरा–6 (क) | निर्णीत | (नवीनतम स्थिति वर्तमान में दर्शाई गई है) |
| 7 | पैरा–6 (ख) | निर्णीत | (नवीनतम स्थिति वर्तमान में दर्शाई गई है) |
| 8 | पैरा–6 (ग) | निर्णीत | (नवीनतम स्थिति वर्तमान में दर्शाई गई है) |
| 9 | पैरा–6 (घ) | अनिर्णीत | |
| 10 | पैरा–7 | निर्णीत | (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है) |
| 11 | पैरा–8 (क) | अनिर्णीत | |
| 12 | पैरा–8 (ख) | अनिर्णीत | |
| 13 | पैरा–8 (ग) | निर्णीत | |
| 14 | पैरा–8 (घ) i से iii | अनिर्णीत | |
| 15 | पैरा–8 (ङ) | अनिर्णीत | |
| 16 | पैरा–9 (क) | अनिर्णीत | |
| 17 | पैरा–9 (ख) | अनिर्णीत | |
| 18 | पैरा–9 (ग) | अनिर्णीत | |
| 19 | पैरा–9 (घ) | अनिर्णीत | |
| 20 | पैरा–9 (घ) i व ii | अनिर्णीत | |